न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 229/2018

निर्णय दिनांक :– 26-12-19

धन्नानाथ पुत्र स्व. मोटनाथ जाति सिद्व निवासी बलरामपुरा तहसील रतनगढ़ जिला चुरू
... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रतनगढ जिला चूरू
2. उप तहसीलदार, राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री बृजमोहन चारण, अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 23.8.2018 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बलरामपुरा तहसील रतनगढ की रोही में गत ख.नं. 151 तादादी 64 बीघा 09 विश्वा कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के समय की है। दक्षिणी ओर की भूमि प्रार्थी के हिस्से पांति में आयी हुई है। प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है तथा ट्यूव वेल बनाया हुआ है। इस खेत में से दक्षिणी सींव के पास संवत 2000 में सिकराली से लाछड़सर का रास्ता अकिंत हो गया जबकि जहां रास्ता रेवन्यू रिकार्ड में अकिंत हुआ है वहां कोई रास्ता कभी चालू नही रहा। सिकराली से लाछड़सर का कटाणी रास्ता दुसरा है। पहले हमारा गावं सिकराली ढाणी के नाम से जाना जाता था तथा

Scanned by CamScanner

बाद में राजस्व ग्राम बन गया। सिकराली से लाछड़सर आवागमन हेतु पक्की सड़क बनी हुई है। हमारे खेत की दक्षिणी सींव के पास संवत 2000 की पेमाईश के मुताबिक 20 गठ्ठा छोड़कर उतरी तरफ राजस्व रेकार्ड में रास्ता दिखाया गया है परन्तु उस जगह कभी रास्ता चालु नही रहा । एक रास्ता हमारे खेत के बीच में से जरूर गुजरता था जो आज भी चालु है। सैटलमेन्ट विभाग ने रास्ता गलत जगह राजस्व रेकार्ड में अकिंत कर दिया। संवत 2025 में रिसैटलमेंट के समय गत ख.नं. 151 के तीन ख.नं. 92,93 व 98 बनाये गये और बदोंबस्त विभाग ने सं. 2025 में ख.नं. 92 व 98 के बीच राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कर दिया, जबकि उस जगह भी कभी रास्ता दर्ज नही रहा है। सैटलमेन्ट विभाग ने अपनी मनमर्जी से खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में कम करके रास्ता दर्ज कर दिया। सैटलमेन्ट विभाग को राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन का कोई अधिकार नही था। सैटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से राजस्व रेकार्ड तैयार किया है, वो दुरूस्त किये जाने योग्य है। राजस्व रेकार्ड में ख.नं. 96 के रूप में रास्ता दर्ज किया है, वोह गलत है। ख.नं. 92 में प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है, जिसके उतरी तरफ से एक रास्ता उसके खेत में से गुजरता है, जो जगननाथ के खेत में से होते हुए आगे लाछड़सर की रोही में प्रवेश करता है। अप्रार्थीगण द्वारा कटाणी रास्ता की आड में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों को तंग परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खड़ी फसल बर्बाद करने पर तुले हुए है। यदि मुझे गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो खेत फसल काश्त करने योग्य नही रहेगा तथा खेत कई टूकड़ों में विभाजित हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के रोही बलरामपुर के गत ख.नं. 151 से बनाये गये वर्तमान ख.नं. 92 व 98 के बीच में जो ख.नं. 96 रास्ता के दर्ज किये गया है उस पर खड़ी फसल को नष्ट नही करें तथा प्रार्थी के खेत ख.नं. 92 में से जो रास्ता चालु है, उसके अलावा कोई रास्ता चालू नही करें।

3. तहसीलदार, रतनगढ की ओर से दिनांक 31.8.2018 को न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी/तहसीलदार का कथन है कि प्रार्थी के ख.नं. 92 व

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

98 के मध्य मौके पर ख.नं. 96 गै.मु.रास्ता मौजूद नही है। ख.नं. 92 में ढाणी बनी हुई है, उसके उतरी तरफ से एक रास्ता सदामद का चालु है। जहां राजस्व रेकार्ड में कटाणी रास्ता दर्ज है, वहां मौके पर कोई रास्ता प्रचलन में मौजूद नही है।

4. बहस प्रार्थी के अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी वादगत भूमि खेत खेत ख.नं. 92,98 तथा 591/93 कुल तादादी 7.4361 हैक्टेयर में सहखातेदार है। प्रार्थी का कथन है कि सैटलमेन्ट के दौरान जो रास्ता उसके खेत में से चालु था उसको कटाणी दर्ज न कर दूसरी जगह गलत रूप से रास्ता ख.नं. 96 का अकंन कर दिया। तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट/जबाब दिनांक 31.8.2018 के अवलोकन से तहसीलदार द्वारा ख.नं. 92 व 98 के मध्य कोई रास्ता मौके पर प्रचलन में नही होना बताया है। प्रार्थी के खेत ख.नं. 92 में बनी पक्की ढाणी के उतरी तरफ से एक रास्ता सदामद का चालु होना बताया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। मौके पर फसल बर्बाद होने से अपूर्तिय क्षति भी प्रार्थी को होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि प्रार्थी की वादगत भूमि ख.नं. 92 में वर्तमान चालु रास्ते के अलावा कोई रास्ता चालु न करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

आदेश आज दिनांक 26-12-19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.02 13:23:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: